राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.14(5)खान/ग्रुप–2/2017 जयपुर, दिनांकः 07 JUL 2021

आदेश

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 63(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किये गये अतिरिक्त निदेशक (खान), के समक्ष अपील की सुनवाई किये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 63(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत सहायक खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता), खनि अभियंता, खनि अभियंता (सतर्कता), अधीक्षण खनि अभियंता अथवा अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) के द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की जाने वाली अपील की सुनवाई हेतु संबंधित अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन को एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

–Sd–
(नीतू बारूपाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय मंत्री खान एवं गोपालन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, खान (पर्यावरण एवं विकास)/अतिरिक्त निदेशक (खान–मु.), निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपील से संबंधित समस्त पत्रावलियां संबंधित अतिरिक्त निदेशक (खान), जोन को सात दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावें।
5. समस्त अधीक्षण खनि अभियंता/खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
6. DGMOS प्रकोष्ठ, खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव